

प्रतिलिपि झाडेश दि० २४/३/२०२२ बम० परमेश्वरीदेवी सेवा संस्था
उ८९ चक्र रघुनाथ नैनी इलाहाबाद का। प्रबन्धक श्री. सत्य
शुक्ला बनोम उठर प्रदेश साकार वाद सं० ४४/२०२४-२०२
ज्ञानगत धारा ८० अधिनियम उ० पू० रा० सं० २००६ ग्राम धारा
परगना सोली तहसील लालगांव जनपद रायबरेली न्यायपाल
उपाधिकारी लालगांव जनपद रायबरेली

नोट- झाडेश दि० ४/३/२०२२ की प्रमाणित
दाया प्रतिलिपि स्वतंत्र है।

अंलगुण ०५ वर्क

$$₹ ५०.५ = १३ = ०० ₹$$



प्रमाणित सत्य प्रतिष्ठित



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिला अधिकारी

मण्डल : लखनऊ, जनपद : रायबरेली, तहसील : लालगंज
वाद संख्या : -746/2022

कंपटरीकृत वाद संख्या : -T202210580400746

परमेश्वरी देवी सेवा संस्थान 387 चैक रघुनाथ नैनी इलाहाबाद द्वारा प्रबंधक श्री सत्यम शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश सरकार

अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

C.N. 48/2021-2022

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही परमेश्वरी देवी सेवा संस्थान 387 चैक रघुनाथ नैनी इलाहाबाद द्वारा प्रबंधक श्री सत्यम शुक्ला पुत्र ओमप्रकाश शुक्ला निवासी निवासी सरेनी, परगना सरेनी, तहसील लालगंज, जनपद रायबरेली द्वारा राजस्व संहिता 2006 की धारा 80(1) के अन्तर्गत प्रारम्भ हुई, जिसके अन्तर्गत भूमि स्थित ग्राम धूरेमऊ, परगना सरेनी, तहसील लालगंज, जनपद रायबरेली की खतौनी सन 1425-1430 के खाता संख्या 00012 प्रार्थी का नाम बतौर संकमणीय भूमिधर दर्ज है, जिसमें गाटा संख्या 00012 प्रार्थी का हिस्सा 1.063हें 0 है, जिसे उ0प्र० राजस्व 931/1 में प्रार्थी का हिस्सा 1.063हें 0 है, जिसे उ0प्र० राजस्व संहिता-2006 की धारा-80(1) के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त आवेदन पत्र की जांच तहसीलदार लालगंज से कराई गई। तहसीलदार लालगंज की जांच आख्या दिनांक 21.03.2022 में उल्लेख किया गया है कि ग्राम धूरेमऊ, परगना सरेनी, तहसील लालगंज, जनपद रायबरेली की वर्तमान खाता संख्या 00012 पर गाटा संख्या 931/1/ 1.063हें 0 भूमि प्रार्थी का नाम बतौर संकमणीय भूमिधर दर्ज है। उक्त भूमि पर परमेश्वरी देवी त्रिवेदी प्रसाद शुक्ल महाविद्यालय सरेनी, रायबरेली का पर भवन व सहन बना हुआ है। इस प्रकार उक्त गाटे के 1.063हें 0 भूमि पर कृषि कार्य नहीं होता है तथा भूमि अकृषिक है तथा आवासीय रूप में प्रयोग में लायी जा रही है। तहसीलदार लालगंज द्वारा उ0प्र० राजस्व संहिता-2006 यथा संशोधित की धारा 80(1) के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार लालगंज की आख्या दिनांक 21.03.2022 के साथ उद्धरण खतौनी सन 1425-1430 फसली की खाता संख्या 00012, फोटोग्राफ आदि का अवलोकन एवं परिशीलन किया गया है। अवलोकन से विदित है कि प्रार्थी की भूमि स्थित ग्राम दतौली लालगंज अं0टा0ए०, परगना डलमऊ, तहसील लालगंज, जनपद रायबरेली लालगंज संख्या 00012 गाटा संख्या 931/1 क्षेत्रफल 1.063हें 0 पर कृषि कार्यवाही परमेश्वरी देवी त्रिवेदी प्रसाद शुक्ल महाविद्यालय सरेनी, रायबरेली का भवन पर भवन व सहन बना हुआ है। प्रार्थी की उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। व सहन बना हुआ है। प्रार्थी की उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। उक्त भूमि धारा 77 उ0प्र० राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत सार्वजनिक



U.S. 10/11/2022

पृष्ठ संख्या :



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी

मण्डल : लखनऊ, जनपद : रायबरेली, तहसील : लालगंज

वाद संख्या : 746/2022

कंप्यटरीकृत वाद संख्या :-T202210580400746

रमेश्वरी देवी सेवा संस्थान 387 चक रघुनाथ नैनी इलाहाबाद द्वारा प्रबंधक श्री सत्यम शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश सरकार

अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

उपयोग की भूमि नहीं है। प्रार्थी उपरोक्त भूमि खाता संख्या 00012 गाटा संख्या 931/1/1.063हे० का जिलाधिकारी रायबरेली महोदय द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के आधार पर नियमानुसार मु० 24500/- का न्याय शुल्क स्टाम्प व मु० 24500/- रुपये का चालान उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 में उल्लिखित मद में जमा किया गया है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार लालगंज की आख्या दिनांक 21.03.2022 एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्षों के आधार पर ग्राम धूरेमऊ, परगना सरेनी, तहसील लालगंज, जनपद रायबरेली के खाता संख्या 00012 गाटा संख्या 931/1 क्षेत्रफल 1.063हे० को अकृषिक भूमि घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर ग्राम धूरेमऊ, परगना सरेनी, तहसील लालगंज, जनपद रायबरेली की खाता संख्या 00012 की गाटा संख्या 931/1 क्षेत्रफल 1.063हे०, जो प्रार्थी परमेश्वरी देवी सेवा संस्थान 387 चक रघुनाथ नैनी इलाहाबाद द्वारा प्रबंधक श्री सत्यम शुक्ला पुत्र ओमप्रकाश शुक्ला निवासी निवासी सरेनी, परगना सरेनी, तहसील लालगंज, जनपद रायबरेली के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है, को उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा-80(1) के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। तहसीलदार लालगंज की आख्या दिनांक 21.03.2022 आदेश का अंग रहेगी। प्रतिबन्ध यह होगा कि समय-समय पर शासकीय स्थानों यथा विकास प्राधिकरण या आवास विकास परिषद या अन्य किसी विभाग द्वारा कोई प्रतिबन्ध प्रश्नगत भूमि पर लगाया जाता है, तो वह उक्त भूमि पर पूर्णतः लागू होंगे। तदनुसार प्रख्यापन निर्गत हो। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही उपरान्त राजस्व अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक 28/3/2022

U.I. 28/3/2022

(विजय कुमार)

उपजिलाधिकारी
लालगंज, रायबरेली

25।

वादामयी है। जनपद देवी का दिनांक

विवेचना का दिनांक 31/3/2022

विवेचना का दिनांक 31/3/2022

वादामयी है। जनपद देवी का दिनांक

मिलान 31/3/2022

वाद दाता

मिलान 31/3/2022

वाद दाता

मिलान 31/3/2022

पैसे 60 रुपये बाटा

पैसे 500 रु

पैसे 500 रु

राजस्व विवेचना विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार

जनप्राप्ति अधिकारी का संकेत २०१० - ८०(१)

उ०प्र० एवं भूमि व्यवस्था अधिकारी की धारा १५३ की घोषणा के सम्बन्ध में
नियम १३५ की आख्या का प्रारूप
तहसील लालगंज जनपद रायबरेली।

Tehsil, jsp

Tehsil, jsp

ग्राम का नाम	भूमिधर का नाम / पिता का नाम / निवास स्थान	खाता खत्तीनी संख्या	खाते का क्षेत्रफल	मलगुजारी	गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में लाये जाने वाले खाते का क्षेत्रफल		विशिष्ट गैर कृषि प्रयोजन जिसके लिए खाता या उसका कोई मास काम में लाया जाता हो।	
					(क) गाटा संख्या	(ख) क्षेत्रफल		
०१	०२	०३	०४	०५	०६	०७	०८	०९
झौरेभट्ठा	परमेश्वरी देवी सेवा संस्थान ३४८ चाक रघुनाथ मैत्री इलाहाबाद ज़िला एवं चाक संस्थान गुरुकुल पुल और प्रकाश निवास स्ट्रीमी	००१२	१.०६३	२७.९९	९३।।	१.०६३ मा. ३४८ २७.९९	<u>महाराजा</u> , ग्राम खत्तीनी झौरेभट्ठा पटाका सेवा संस्थान लालगंज जिला एवं ग्रामीणी के खाता सं. १२ पर परमेश्वरी देवी सेवा कालान्तर ३४८/ चाक रघुनाथ मैत्री इलाहाबाद (पर) उत्तराखण्ड गुरुकुल गुरुद्वारा लालगंज स्ट्रीमें गुरुकुल गुरु भिरुदामोहरा (गुरुद्वारा) निवासी के नाम ९३।।, कृषा ३.०९, मा. ३.१०४८ चाक पर ८८५८०८१८८५८१, इस गाटा सं. ९३।।, कृषा १.०६३ मा. ३.१०४८ गोरक्षा पटेल (परमेश्वरी) देवी कृषा कृषा संख्या ३४८/ चाक गुरुद्वारा गुरुद्वारा लालगंज पटेल क्षेत्रमें गुरुकुल गुरु भिरुदामोहरा (गुरुद्वारा) के नाम वर्णनां वर्णना १२.७३।।/ १२.७३।।/१.०६३ मा. ३.१०४८ मिलावेनी चाक/इस गूमी ९३।।/१.०६३ पर परमेश्वरी लेव संस्थान ३४८/चाक गुरुद्वारा ५०- इलाहाबाद पर परमेश्वरी दिवेशी प्रसाद धुपकल महाराजी व्यवस्था सेवा खत्तीनी का अवान, जह वना द्वारा दी रज्ञा ग्रामीणी लोटी वेदी गृही लोटी है उक्ता ग्रामीणी श्रीकृष्णनाथ कृष्णनाथ कृष्णनाथ कृष्णनाथ कृष्णनाथ कृष्णनाथ कृष्णनाथ कृष्णनाथ कृष्णनाथ कृष्णनाथ कृष्णनाथ कृष्णनाथ कृष्णनाथ कृष्णनाथ कृष्णनाथ कृष्णनाथ कृष्णनाथ कृष्णनाथ कृष्णनाथ कृष्णनाथ	

अधिकारी का संकेत
६/३/२०२२


अधिकारी का संकेत
६/३/२०२२



दृष्टिपत्र

नजदी नमूकी

क्रमांक नं. ९३।।, तारीख ३.०९। स्कॉटलैंड पर्सेशनरी एवं संस्थान आदि
सिविल शास्त्रीय और अधिकारी परिषद के द्वारा जिम्मेदारी के बहुत लालगंज जिला राज्य भूमि



पीठदली:

- उत्तर - साक्षी देवी की धूमि
- दीक्षण - सड़क सेरेनी से ओजपुर
- पूरब - काहखिलैदर सत्यमंडुकला की धूमि
- पीछा - सीमा शास्त्री तवारेंद्रा

G.N.48/2021-2022

प्रमाणित
लालगंज
सरेनी
6/3/2022

